राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का बसेठ बनाम दाऊदयाल कल्याण पिसर भगवान ब्राह्मण माठकी

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :– RA/21/2022 निर्णय दिनांक :– 15/3/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम माठकी की आ0 ख0 नं0 540 कुल रकबा 0-2500 किस्म जमीन गैरमुमकिन रास्ता में से 0.02 हे0 रकबे पर श्री दाऊदयाल कल्याण पिसर भगवान ब्राह्मण ने पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर छप्पर डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का बसेठ ~~पटवारी~~ द्वारा दिनांक 22/12/21 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक बसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी दाऊदयाल कल्याण पिसर भगवान जाति ब्राह्मण निवासी माठकी को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी दाऊदयाल कल्याण पिसर भगवान उपस्थित ~~नहीं~~ हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 540 रकबा 0.2500 हे0 में से 0.02 हे0 रकबे किस्म गैरमुमकिन रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.44 का 50 गुणा 22 बाईस रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी बसेठ भू0 अ0 निरीक्षक बसेठ को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
तहसील (कठूमर)